

भारत सरकार
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. *782 जिसका उत्तर
शुक्रवार, 07 फरवरी, 2025/18 माघ, 1946 (शक) को दिया जाना है

अंतर्देशीय जलमार्गों में माल परिवहन

782. श्रीमती विजयलक्ष्मी देवी :

श्री रवीन्द्र शुक्ला उर्फ रवि किशन :

श्रीमती शोभनाबेन महेन्द्रसिंह बारैया :

श्री दिलीप शङ्कीया :

क्या पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) 'जलवाहक' योजना की मुख्य विशेषताएं और उद्देश्य क्या हैं तथा इसके लिए कुल कितना बजटीय आवंटन किया गया है;
- (ख) इसके अंतर्गत कौन-कौन से क्षेत्र और सेक्टर शामिल हैं तथा अंतर्देशीय जलमार्गों पर माल परिवहन को बढ़ावा देने कौन से आर्थिक लाभ अपेक्षित हैं;
- (ग) 'जलवाहक' योजना की शुरुआत से देश भर में अंतर्देशीय जलमार्गों पर माल परिवहन की दक्षता और स्थिरता में किस प्रकार सुधार होगा; और
- (घ) क्या गुजरात सहित देश के पश्चिमी क्षेत्र को इस योजना से आर्थिक लाभ होगा और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री
(श्री सर्बानंद सोणोवाल)

(क) से (घ): अंतर्देशीय जल परिवहन (आईडब्ल्यूटी) क्षेत्र अभी अपनी प्रारंभिक अवस्था में है और इसमें भौतिक अवसंरचना के निर्माण के अलावा कार्गो के मॉडल शिफ्ट को बढ़ावा देने के लिए समर्थन की आवश्यकता है। जबकि जलमार्गों पर कार्गो परिवहन की लागत अन्य परिवहन साधनों की तुलना में कम है, परिवहन की बहुविध प्रकृति कुल लॉजिस्टिक्स लागत को अन्य परिवहन साधनों की तुलना में अधिक बनाती है। यहां तक कि दुनिया के विकसित हिस्से जैसे यूरोप में भी, कार्गो को जलमार्गों पर मोडल शिफ्ट

के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए मार्कोपोलो जैसे कार्यक्रम शुरू किए गए थे। तदनुसार, जबकि भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूआई) राष्ट्रीय जलमार्गों पर ठोस अवसंरचना प्रदान करने पर काम कर रहा है, जलमार्गों को वित्तीय सहायता प्रदान करना आवश्यक है।

दिनांक 15.12.2024 को "जलवाहक" योजना शुरू की गई है जिसका उद्देश्य आईडब्ल्यूटी में कार्गो के मॉडल शिफ्ट को प्रोत्साहन प्रदान करना है, ताकि इस तरह के शिफ्ट को प्रोत्साहित किया जा सके और आईडब्ल्यूटी क्षेत्र की विश्वसनीयता और तत्परता को प्रदर्शित किया जा सके। 95.42 करोड़ रुपए की लागत वाली इस योजना के निम्नलिखित दो घटक हैं:

घटक-1: रेल/सड़क से आईडब्ल्यूटी माध्यम तक कार्गो के सतत मॉडल शिफ्ट हेतु कार्गो मालिकों को सीधे वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करना। इस तरह का वित्तीय प्रोत्साहन जलमार्ग यात्रा पर किए गए कुल वास्तविक प्रचालन व्यय का 35% है। जलमार्ग पर मॉडल शिफ्ट का उद्देश्य कार्गो मालिकों द्वारा आईडब्ल्यूटी माध्यम के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक चालक के रूप में कार्य करना है।

घटक-2: निर्धारित सेवाएं: जलवाहक योजना के अंतर्गत, निर्धारित सेवाएं शुरू की गई हैं, जो भारत के अंतर्देशीय जलमार्गों पर कार्गो परिवहन की विश्वसनीयता और पूर्वानुमान को बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण हैं। ये निर्धारित सेवाएं सुनिश्चित करती हैं कि जलयान एक सुसंगत समय सारिणी पर प्रचालित हों, जिससे व्यवसाय अपने लॉजिस्टिक्स की योजना अधिक कुशलता से बना सकें। यह पूर्वानुमान देरी को कम करने और माल की समय पर डिलीवरी सुनिश्चित करने में मदद करता है, जिससे जलमार्ग परिवहन की विश्वसनीयता में हितधारकों के बीच विश्वास बढ़ता है। निर्धारित सेवाओं के लिए पहचाने गए रा.ज.-1 का कोलकाता - पटना - वाराणसी जलखंड, भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल (आईबीपी) मार्ग, से होते हुए रा.ज.-2 पर कोलकाता-पांडु और आईबीपी मार्ग से होते हुए रा.ज.-16 पर कोलकाता-बदरपुर/करीमगंज मार्ग हैं।

यह योजना भारत-बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग से होते हुए राष्ट्रीय जलमार्ग-1, राष्ट्रीय जलमार्ग-2 और राष्ट्रीय जलमार्ग-16 पर कार्गो की आवाजाही के लिए लागू है, जिससे इन राष्ट्रीय जलमार्गों के आसपास के क्षेत्रों को लाभ होगा।
